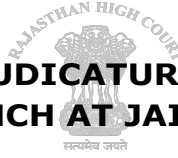




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc. 2nd Suspension Of Sentence Application
(Appeal) No. 689/2026

In

S.B. Criminal Appeal No-427/2023

Charansingh S/o Gyarsilal, Aged About 40 Years, R/o Navodi Tan
Govindpura, Police Station Sadar, Neem Ka Thana District Sikar
(Raj.). (At Present Confined In Sub Jail- Neemkathana
(Sikar).).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री विकास कुमार जाखड़
For Respondent(s)	:	श्री देवी सिंह, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24-04-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कम संख्या-2, नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-05/10बी.टी. 48/2022, सरकार बनाम बनवारीलाल वगैरह में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 14.02.2023 के विरुद्ध यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि पूर्व में दिनांक 27.02.2023 के आदेशानुसार अपीलार्थी/अभियुक्त का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था परन्तु उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी विचारण



न्यायालय के समक्ष जमानत मुचलके प्रस्तुत नहीं कर पाया था और वर्तमान में दिनांक 25.03.2026 से वह न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रूपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **25.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **चरण सिंह पुत्र ग्यारसीलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J